

UPSC (IAS) Prelims 2025

Current Affairs

CRASH

COURSE

#IAS

18 Months

ABHAY SIR



Events in News



Topic 1- सूचना का अधिकार (RTI)

Topic 2- सुप्रीम कोर्ट द्वारा ग्राम न्यायालयों की व्यवहार्यता पर सवाल

Topic 3- नागरिकता अधिनियम की धारा 6A

Topic 4- यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (UPU)

Topic 5- अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (International Telecommunication Union - ITU)

Topic 6 - जलविद्युत परियोजनाओं हेतु योजना

Topic 7- इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन

Topic 8- आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन



RIGHT TO INFORMATION ACT RIGHT TO INFORMATION ACT

RTI

RIGHT TO INFORMATION ACT RIGHT TO INFORMATION ACT



सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

- 1. यह अधिनियम सभी सार्वजनिक प्राधिकरणों पर लागू होता है, चाहे वे केंद्र सरकार से संबंधित हो या राज्य सरकार से।
- 2. यह अधिनियम मुख्य रूप से संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ है।
- 3. सभी निजी संस्थाएँ भी आरटीआई के दायरे में आती हैं।

सही कथनों का चयन करें-

- A. केवल 1 और 2
- B. केवल 2 और 3
- C. केवल 1 और 3
- D. 1,2 और 3





व्याख्या

- आरटीआई अधिनियम सार्वजनिक प्राधिकरणों पर लागू होता है, लेकिन सभी निजी संस्थाएँ इसके दायरे में नहीं आतीं।
- यह संविधान के अनुच्छेद 19 (1)(ए) (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) से जुड़ा है क्योंकि सूचना का अधिकार पारदर्शिता को बढ़ावा देता है।






- सूचना का अधिकार (Right to Information - RTI) अधिनियम, 2005 एक क़ानून है जो भारत के नागरिकों को सरकारी संस्थानों से जानकारी प्राप्त करने का क़ानूनी अधिकार देता है। यह अधिनियम सरकार की पारदर्शिता और ज़वाबदेही सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था।

1. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 – परिचय

- यह अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ।
- इसका उद्देश्य सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार को रोकना है।
- नागरिक इस क़ानून के तहत किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण (Public Authority) से सूचना मांग सकते हैं।





2. सूचना का अधिकार का विकास

- 1976: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सूचना का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) का हिस्सा है।
- 1990 के दशक: सामाजिक कार्यकर्ताओं (जैसे अरुणा रॉय) ने RTI कानून की मांग उठाई।
- 2002: संसद ने सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया, लेकिन यह प्रभावी नहीं हुआ।
- 2005: UPA सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 लागू किया।





3. सूचना का अधिकार अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ

- (A) कौन-सी संस्थाएँ RTI के अंतर्गत आती हैं?
 - 1. सभी सरकारी विभाग और संस्थाएँ (केंद्र और राज्य सरकार)
 - 2. स्थानीय निकाय (ग्राम पंचायत, नगर निगम आदि)
 - 3. सरकारी वित्त पोषित NGO और निजी संस्थाएँ
 - 4. संविधान द्वारा निर्मित निकाय (जैसे – चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट)





(B) कौन-सी संस्थाएँ RTI से बाहर हैं?

कुछ गोपनीय संस्थाओं को RTI से छूट दी गई है, जैसे:

- 1. RAW (Research and Analysis Wing)
 - 2. IB (Intelligence Bureau)
 - 3. CBI (कुछ मामलों में)
 - 4. BSF, CRPF, CISF
 - 5. DRDO, ISRO (कुछ मामलों में)
- (लेकिन, यदि सूचना भ्रष्टाचार या मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित है, तो इसे मांगा जा सकता है।)






- केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) ने राष्ट्रीय और अनेक क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को RTI अधिनियम के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण घोषित किया है।

4. सूचना का अधिकार के तहत आवेदन कैसे करें?

(A) आवेदन की प्रक्रिया:

- 1. RTI आवेदन लिखें: यह आवेदन हिंदी, अंग्रेजी या स्थानीय भाषा में हो सकता है।
- 2. PIO (Public Information Officer) को भेजें: हर सरकारी विभाग में एक जन सूचना अधिकारी (PIO) होता है।
- 3. फीस जमा करें: सामान्यतः ₹10 आवेदन शुल्क होता है (BPL श्रेणी के लिए निःशुल्क)।





4. समयसीमा:

- सामान्य मामलों में 30 दिन में सूचना दी जानी चाहिए।
- जीवन और स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में 48 घंटे में उत्तर देना अनिवार्य है।
- यदि तीसरे पक्ष से संबंधित सूचना हो, तो 40 दिन में उत्तर मिलेगा।

(B) अपील प्रक्रिया:

- अगर उत्तर संतोषजनक न हो तो:
 1. प्रथम अपील – विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के पास (30 दिनों में)।
 2. द्वितीय अपील – राज्य सूचना आयोग या केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के पास (90 दिनों में)।
 3. न्यायिक हस्तक्षेप – हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं।





5. सूचना का अधिकार अधिनियम के लाभ

- **1. पारदर्शिता और जवाबदेही** – सरकारी कार्यों में खुलापन आता है।
- **2. भ्रष्टाचार में कमी** – नागरिक सरकार की जांच कर सकते हैं।
- **3. लोकतांत्रिक सशक्तिकरण** – नागरिक नीति निर्माण में भाग ले सकते हैं।
- **4. कानूनी अधिकार की सुरक्षा** – नागरिकों को सही जानकारी प्राप्त करने का अधिकार मिलता है।





6. सूचना का अधिकार अधिनियम की सीमाएँ और चुनौतियाँ

- 1. गोपनीयता और राष्ट्रीय सुरक्षा – कुछ संवेदनशील सूचनाएँ सार्वजनिक नहीं की जा सकतीं।
- 2. RTI का दुरुपयोग – कुछ लोग निजी या व्यावसायिक लाभ के लिए इसका गलत उपयोग करते हैं।
- 3. अधिकारी जवाब नहीं देते – कई बार सूचना अधिकारी जानबूझकर देरी करते हैं।
- 4. सूचना आयोगों में लंबित मामले – कई राज्यों में RTI अपीलों का निपटान बहुत धीमा है।
- 5. RTI कार्यकर्ताओं पर हमले – कई RTI कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है, जिससे पारदर्शिता को खतरा होता है।





7. 2019 में हुए RTI संशोधन

- RTI (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत:
- CIC और राज्य सूचना आयोगों की स्वतंत्रता कम हुई।
- CIC और राज्य सूचना आयुक्तों का कार्यकाल और वेतन सरकार के नियंत्रण में आ गया।
- इसे आलोचकों ने RTI को कमजोर करने वाला कदम बताया।
- ऐसे मामलों के उदाहरण जिनमें सूचना प्रकटीकरण से छूट प्राप्त है (धारा 8)






ऐसी सूचना जिससे या जिसके प्रकटीकरण से-

- भारत की संप्रभुता व अखंडता और सुरक्षा तथा रणनीतिक, वैज्ञानिक या आर्थिक हित प्रभावित हो।
- किसी अन्य देश के साथ भारत के संबंध प्रभावित हो सकते हैं।
- अपराध को बढ़ावा मिलने की संभावना हो।
- संसद / राज्य विधान-मंडल के विशेषाधिकार का उल्लंघन हो।
- किसी भी न्यायालय / अधिकरण द्वारा प्रकाशित करने की स्पष्ट रूप से मनाही की गई सूचना।
- न्यायालय की अवमानना होने की संभावना हो।





- वाणिज्यिक गोपनीयता, ट्रेड सीक्रेट्स यानी व्यापार रहस्य या बौद्धिक संपदा से संबंधित सूचना।
- अन्य देश से गोपनीय रूप से प्राप्त जानकारी।
- ऐसी सूचना जिसके प्रकटीकरण से किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरा होने की संभावना हो।
- कैबिनेट के दस्तावेज ।
- जांच प्रक्रिया या अपराधियों की गिरफ्तारी /अभियोजन आदि में बाधा पहुंचे।
- व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित सूचना।







ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

- 1. ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 पारंपरिक पंचायत न्याय प्रणाली को औपचारिक कानूनी ढांचे में एकीकृत करने के लिए बनाया गया था।
- 2. ग्राम न्यायालय केवल दीवानी मामलों को सुनने के लिए अधिकृत हैं।
- 3. ग्राम न्यायालय को सामान्यतः संबंधित पंचायत क्षेत्र में स्थापित किया जाता है।

सही उत्तर चुनें-

- A. केवल 1 और 2
- B. केवल 2 और 3
- C. केवल 1 और 3
- D. 1,2 और 3





न्याय

- ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 स्थानीय विवादों के शीघ्र समाधान के लिए बनाया गया था और इसे पंचायती न्याय प्रणाली के करीब लाने का प्रयास किया गया।
- ग्राम न्यायालय दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार के मामलों को सुन सकते हैं।
- इन्हें ग्राम पंचायत, तहसील या ब्लॉक स्तर पर स्थापित किया जाता है।



सुप्रीम कोर्ट की चिंताएँ

1. ग्राम न्यायालयों का गठन अनिवार्य नहीं:

- ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 की धारा 3 में राज्यों को ग्राम न्यायालय स्थापित करने की अनुमति दी गई है, लेकिन इसे अनिवार्य नहीं किया गया है।

2. संसाधनों की कमी:

- राज्य सरकारों के पास पहले से ही सीमित संसाधन हैं, जिससे ग्राम न्यायालयों को वित्त पोषित करना कठिन हो रहा है।



3. उच्च न्यायापालिका पर बढ़ता कार्यभार:

- ग्राम न्यायालयों के अप्रभावी होने पर मामलों का बोझ जिला, सिविल और उच्च न्यायालयों पर बढ़ सकता है।

4. अपील और रिट याचिकाओं का बढ़ना:

- यदि ग्राम न्यायालय प्रभावी नहीं हुए तो उच्च न्यायालयों में अपील और याचिकाओं की संख्या बढ़ सकती है।



ग्राम न्यायालयों की विशेषताएँ

1. गठन:

- प्रत्येक पंचायत या निकटवर्ती पंचायतों के समूह के लिए जिला स्तर पर गठित किए जा सकते हैं।
- राज्य सरकार हाई कोर्ट के परामर्श से न्यायाधीशों की नियुक्ति करती है।



2. अधिकार क्षेत्र:

- यह मोबाइल कोर्ट के रूप में कार्य करेगा और इसके पास सिविल व क्रिमिनल दोनों प्रकार के मामलों का अधिकार होगा।

3. विवाद समाधान प्रक्रिया:

- प्राथमिक रूप से समझौते के माध्यम से विवादों का समाधान किया जाएगा।
- सामाजिक कार्यकर्ताओं को सुलहकार (Conciliator) के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।



4. न्याय प्रक्रिया:

- प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित।
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 से बाध्य नहीं, जिसे अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।

ग्राम न्यायालयों के कार्यान्वयन की स्थिति

वर्तमान स्थिति

- 1. प्रारंभिक लक्ष्य 2,500 ग्राम न्यायालयों के गठन का था।
- 2. अब तक 500 से भी कम ग्राम न्यायालय गठित हुए हैं।
- 3. वर्तमान में पूरे भारत में सिर्फ 314 ग्राम न्यायालय कार्यरत हैं।



राज्यों में कार्यान्वयन

- 1. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान ने ग्राम न्यायालयों के गठन में अच्छी प्रगति दिखाई है।
- 2. उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे बड़े राज्यों में इनका कार्यान्वयन सीमित या लगभग शून्य है।

ग्राम न्यायालयों को समर्थन देने वाली पहल

1. ग्राम न्यायालय योजना (केंद्र प्रायोजित योजना):

- केंद्र सरकार राज्यों को ग्राम न्यायालयों के गठन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।





Assam



नागरिकता अधिनियम, 1955 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

- 1. भारत में नागरिकता केवल जन्म, वंश, पंजीकरण, प्राकृतिककरण और क्षेत्रीय अधिग्रहण के आधार पर प्राप्त की जा सकती है।
- 2. संसद के पास किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त करने की कोई शक्ति नहीं है।
- 3. भारत में दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है।

सही उत्तर चुनें-

- A. केवल 1 और 2
- B. केवल 2 और 3
- C. केवल 1 और 3
- D. 1,2 और 3





व्याख्या

- नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत भारत की नागरिकता पांच तरीकों से प्राप्त की जा सकती है-
 - जन्म
 - वंश
 - पंजीकरण
 - प्राकृतिककरण
 - क्षेत्रीय अधिग्रहण
- संसद को नागरिकता समाप्त करने का अधिकार है (धारा 9, 10 और 11 के तहत)
- भारत में दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है।





धारा 6A का परिचय

- नागरिकता अधिनियम, 1955 में 1985 के संशोधन के जरिए जोड़ा गया।
- असम समझौते (1985) के तहत लागू किया गया।
- 1 जनवरी, 1966 से 24 मार्च, 1971 के बीच असम आए प्रवासियों को नागरिकता देने का प्रावधान।
- इन्हें 10 साल बाद भारतीय नागरिकता प्रदान करने की व्यवस्था की गई।





सुप्रीम कोर्ट का फैसला

1. संसद की विधायी क्षमता:

- संविधान के अनुच्छेद 246 और संघ सूची (प्रविष्टि 17) के तहत संसद को यह कानून बनाने का अधिकार है।

2. अनुच्छेद 14 (समानता):

- असम की स्थिति शेष भारत से अलग होने के कारण यह समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता।

3. अनुच्छेद 29(1) (संस्कृति संरक्षण):

- कोई प्रमाण नहीं कि प्रवासियों से असम की संस्कृति को नुकसान हुआ।



4. 24 मार्च, 1971 की कटऑफ डेट:

- यह तिथि उचित है, क्योंकि 26 मार्च, 1971 को पाकिस्तान ने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया, जिससे बड़े पैमाने पर पलायन हुआ।
- इस तिथि के बाद आए प्रवासी युद्ध के कारण विस्थापित माने गए, न कि विभाजन के कारण।





UPU

UNIVERSAL
POSTAL
UNION

Result Mitra



यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

- 1. UPU की स्थापना 1874 में हुई थी और यह दुनिया की सबसे पुरानी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में से एक है।
- 2. भारत UPU का एक संस्थापक सदस्य था।
- 3. UPU का कार्य डाक दरों को नियंत्रित करना और सदस्य देशों के बीच डाक सेवाओं को सुव्यवस्थित करना है।

सही उत्तर चुनें-

- केवल 1 और 2
- केवल 2 और 3
- केवल 1 और 2
- 1,2 और 3





व्याख्या

- UPU की स्थापना 9 अक्टूबर 1874 को हुई थी, इसलिए यह दुनिया के सबसे पुराने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में से एक है।
- भारत 1876 में UPU का सदस्य बना था, न कि संस्थापक सदस्य।
- UPU सदस्य देशों के बीच डाक सेवाओं को सुव्यवस्थित करता है और अंतर्राष्ट्रीय डाक शुल्क को नियंत्रित करता है।





यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना

- स्थापना: 9 अक्टूबर, 1874 (बर्न की संधि के तहत)।
- प्रारंभ में इसे जनरल पोस्टल यूनियन कहा जाता था।
- यह अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) के बाद दूसरा सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय संगठन है।
- स्थापना दिवस पर 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस (World Post Day) मनाया जाता है।





मुख्य विशेषताएँ

- मुख्यालय: बर्न, स्विट्जरलैंड।
- सदस्य देश: 192 (भारत प्रमुख सदस्य)।
- संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

भारत और UPU

- भारतीय डाक विभाग ने UPU की 150वीं वर्षगांठ पर स्मारक डाक टिकट जारी किया।
- भारत UPU का सबसे पुराना और सक्रिय सदस्य है।
- भारतीय डाक 170वीं वर्षगांठ मना रहा है और यह दुनिया का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क है।







ITU के कार्यों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

- 1. ITU 5G, ब्रॉडबैंड और रेडियो स्पेक्ट्रम आवंटन से संबंधित मानकों का निर्धारण करता है।
- 2. ITU केवल विकसित देशों के लिए दूरसंचार सेवाओं को नियंत्रित करता है, विकासशील देशों के लिए नहीं।
- 3. ITU विश्व टेलीफोन और इंटरनेट सेवाओं के लिए तकनीकी मानक तैयार करता है।

सही उत्तर चुनें-

- A. केवल 1 और 3
- B. केवल 2 और 3
- C. केवल 1 और 3
- D. 1,2 और 3





व्याख्या

- ITU 5G, ब्रॉडबैंड और रेडिया स्पेक्ट्रम आवंटन से संबंधित मानकों को निर्धारित करता है।
- ITU सभी देशों (विकसित और विकासशील दोनों) के लिए दूरसंचार सेवाओं को नियंत्रित करता है, न कि केवल विकसित देशों के लिए।
- ITU विश्व टेलीफोन और इंटरनेट सेवाओं के लिए तकनीकी मानक तैयार करता है।





ITU-WTSA 2024 सम्मेलन

- स्थान: नई दिल्ली, भारत।
- उद्देश्य: ITU के दूरसंचार मानकीकरण कार्यों का शासी सम्मेलन।
- आयोजन चक्र: प्रत्येक चार वर्षों में एक बार।
- महत्व: यह भारत और एशिया-प्रशांत क्षेत्र में आयोजित पहला WTSA सम्मेलन था।





अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) का परिचय

- स्थापना: 1865 (प्रथम अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ अभिसमय, पेरिस)।
- प्रारंभ में नाम अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ संघ, बाद में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) किया गया।
- संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

मुख्य भूमिकाएँ

- दूरसंचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी के मानकीकरण में सहयोग।
- सभी को दूरसंचार नेटवर्क से जोड़ने और नवाचार को बढ़ावा देने का लक्ष्य।





अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

- सदस्य देश: 193 (भारत प्रमुख सदस्य)।
- मुख्यालय: जिनेवा, स्विट्जरलैंड।






जलविद्युत परियोजनाओं हेतु योजना



जलविद्युत परियोजनाओं हेतु योजना (Scheme for Hydro Electric Projects - HEP)

परिचय:

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जलविद्युत परियोजनाओं (HEP) के त्वरित विकास और दूरदराज एवं पहाड़ी क्षेत्रों में अवसंरचना सुधार के लिए "जलविद्युत परियोजनाओं के लिए सक्षमकारी अवसंरचना लागत हेतु बजटीय सहायता की योजना" में संशोधन को मंजूरी दी है।




जलविद्युत परियोजनाओं हेतु योजना



Daily Current News

संशोधित योजना के प्रमुख बिंदु:

- 1. शुरुआत:** यह योजना विद्युत मंत्रालय द्वारा 2019 में शुरू की गई थी।
- 2. बजटीय आवंटन:** 31,350 मेगावाट की संचयी उत्पादन क्षमता के लिए 12,461 करोड़ रुपये का कुल आवंटन।
- 3. कार्यान्वयन अवधि:** वित्त वर्ष 2024-25 से 2031-32 तक।
- 4. विस्तार:** पहले केवल सड़क और पुल निर्माण को शामिल किया गया था। अब ट्रांसमिशन लाइन्स, रोपवे, रेलवे साइडिंग और संचार अवसंरचना भी योजना में शामिल।






5. पात्रता: 25 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली जलविद्युत परियोजनाएं। निजी क्षेत्र की परियोजनाएं और सभी पम्पड स्टोरेज परियोजनाएं (PSP) भी पात्र।

जलविद्युत परियोजनाओं के विकास हेतु अन्य प्रमुख उपाय:

1. बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं (25 मेगावाट से अधिक) को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत घोषित किया गया।
2. जलविद्युत खरीद दायित्व (HPDs) लागू किए गए, जिससे संस्थानों के लिए जलविद्युत परियोजनाओं से बिजली खरीदना अनिवार्य होगा।



जलविद्युत परियोजनाओं हेतु योजना



Daily Current News

3. जलविद्युत शुल्क कम करने के लिए प्रशुल्क युक्तिकरण उपाय लागू किए जाएंगे।


4. बाढ़ नियंत्रण और जल भंडारण परियोजनाओं को बजटीय सहायता प्रदान की जाएगी।

महत्व:

ऊर्जा सुरक्षा और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने में सहायक।

दूरदराज और पहाड़ी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास।

जलविद्युत उत्पादन बढ़ाकर टिकाऊ और स्वच्छ ऊर्जा को प्रोत्साहन।






भारत में जलविद्युत की वर्तमान स्थिति परिचय-

जलविद्युत (Hydropower) भारत में सबसे पुराने और प्रमुख नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में से एक है।

यह स्वच्छ, सस्ती और पर्यावरण-अनुकूल ऊर्जा प्रदान करता है।
भारत जलविद्युत उत्पादन में विश्व के शीर्ष 10 देशों में शामिल है।






भारत में जलविद्युत की वर्तमान स्थिति (2024)

1. कुल स्थापित क्षमता:

- भारत की कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता 426.26 गीगावाट (GW) (फरवरी 2024 तक) है।
- इसमें से जलविद्युत की कुल क्षमता लगभग 47.66 GW (लगभग 11%) है।
- 25 मेगावाट से बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत घोषित किया गया है।






2. प्रमुख संगठन:

- नैशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन (NHPC)
- सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी (CEA)
- स्टेट पावर यूटिलिटीज और प्राइवेट कंपनियां

3. राज्यानुसार जलविद्युत उत्पादन:

- सर्वाधिक जलविद्युत उत्पादन वाले राज्य: अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, सिक्किम, असम और पश्चिम बंगाल।




जलविद्युत परियोजनाओं हेतु योजना



Daily Current News

प्रमुख जलविद्युत परियोजनाएँ:

- भाखड़ा नांगल परियोजना (पंजाब/हिमाचल प्रदेश)
- टिहरी बांध (उत्तराखंड)
- सर्दा (उत्तराखंड)
- कोयना (महाराष्ट्र)






सरकार की पहल और नीतियाँ

1. जलविद्युत परियोजनाओं हेतु सक्षमकारी अवसंरचना लागत योजना (2019, संशोधित 2024)

- जलविद्युत परियोजनाओं के लिए सड़क, पुल, ट्रांसमिशन लाइन्स, रोपवे आदि के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता।
- 12,461 करोड़ रुपये का आवंटन (2024-2032)।

2. जलविद्युत खरीद दायित्व (HPDs):

- संस्थाओं को जलविद्युत से बिजली खरीदना अनिवार्य।



जलविद्युत परियोजनाओं हेतु योजना




Daily Current News

3. राष्ट्रीय विद्युत नीति 2021:

- जलविद्युत विकास को बढ़ावा।
- परियोजनाओं की मंजूरी प्रक्रिया तेज करने का प्रयास।

4. पंप स्टोरेज परियोजनाएँ (PSP):


- ऊर्जा भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए नई जलविद्युत परियोजनाओं को बढ़ावा।





चुनौतियाँ

- 1. पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव: बड़ी जलविद्युत परियोजनाएँ वनों की कटाई, जैव विविधता क्षरण और विस्थापन का कारण बनती हैं।
- 2. वित्तीय और तकनीकी समस्याएँ: परियोजनाओं की उच्च लागत और लंबी निर्माण अवधि।
- 3. जलवायु परिवर्तन का प्रभाव: बर्फबारी में कमी और अनियमित वर्षा जलविद्युत उत्पादन को प्रभावित कर सकती है।
- 4. सीमित निवेश और निजी क्षेत्र की भागीदारी: प्राइवेट कंपनियाँ लंबी अवधि और ऊँची लागत के कारण इसमें कम निवेश करती हैं।






भारत में कोयला आधारित विद्युत की वर्तमान स्थिति


परिचय:

- कोयला भारत का प्रमुख विद्युत उत्पादन स्रोत है और देश की कुल बिजली उत्पादन क्षमता का लगभग 50% से अधिक कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों (Coal-based Thermal Power Plants) से आता है।
- भारत दुनिया में कोयले का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है।




कोयला आधारित विद्युत की वर्तमान स्थिति (2024):

- कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता: फरवरी 2024 तक भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता – 426.26 गीगावाट (GW)।
 - इसमें से कोयला आधारित बिजली उत्पादन – लगभग 208 GW (~49%)।
 - भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा स्रोत कोयला ही है।
- प्रमुख संगठन: नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन (NTPC) भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL)
 - कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) राज्य बिजली बोर्ड (State Electricity Boards - SEBs)





3. प्रमुख कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र: विन्ध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन (मध्य प्रदेश) – 4760 MW
मुंद्रा थर्मल पावर स्टेशन (गुजरात) – 4620 MW
कोरबा सुपर थर्मल पावर स्टेशन (छत्तीसगढ़) – 2600 MW
सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन (उत्तर प्रदेश) – 2000 MW






सरकार की पहल और नीतियाँ:

1. राष्ट्रीय विद्युत नीति 2021:

- कोयला आधारित बिजली संयंत्रों की कार्यकुशलता और प्रदूषण नियंत्रण तकनीकों में सुधार।
- बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता और स्थिरता सुनिश्चित करना।

2. ऊर्जा सुरक्षा हेतु कोयला उत्पादन में वृद्धि:

- घरेलू कोयला उत्पादन को 2029-30 तक 1.5 बिलियन टन तक बढ़ाने की योजना। वाणिज्यिक कोयला खनन को बढ़ावा देना।






3. क्लीन कोल टेक्नोलॉजी (CCT):

- सुपरक्रिटिकल (Supercritical) और अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल (Ultra-Supercritical) तकनीकों को अपनाना।
- कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज (CCS) का उपयोग कर प्रदूषण को कम करना।

4. पर्यावरणीय सुधार प्रयास:

- 2030 तक कोयला आधारित बिजली संयंत्रों की ऊर्जा दक्षता बढ़ाने और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य।
- पराली और अपशिष्ट आधारित सह-ईंधन (Co-firing) को बढ़ावा देना।





कोयला आधारित विद्युत क्षेत्र की चुनौतियाँ:


1. पर्यावरणीय प्रभाव:

वायु प्रदूषण (CO₂, SO₂, NO_x, PM 2.5, राख उत्सर्जन)।

- जल प्रदूषण और कोयला खनन से वन और जैव विविधता को नुकसान।

2. कोयले की गुणवत्ता और आपूर्ति:

- भारत में कोयले का औसत कैलोरी मान (Heat Value) कम होने के कारण अधिक खपत और प्रदूषण।
- आयातित कोयले पर निर्भरता बढ़ रही है, जिससे लागत बढ़ती है।






3. वित्तीय संकट और निजी निवेश की कमी:

- कई राज्य बिजली बोर्ड (SEBs) आर्थिक रूप से घाटे में हैं।
- बैंक और निजी निवेशक कोयला परियोजनाओं में निवेश करने से बच रहे हैं क्योंकि यह कार्बन उत्सर्जन के कारण वैश्विक दबाव में है।

4. नवीकरणीय ऊर्जा से प्रतिस्पर्धा:

- सौर और पवन ऊर्जा की लागत घट रही है, जिससे कोयला आधारित बिजली संयंत्रों की प्रतिस्पर्धा कठिन हो रही है।



जलविद्युत परियोजनाओं हेतु योजना




Daily Current News

- 2030 तक भारत का 50% बिजली उत्पादन नवीकरणीय स्रोतों से करने का लक्ष्य।

भविष्य की संभावनाएँ और उपाय:

- कोयला आधारित बिजली उत्पादन को अधिक कुशल और स्वच्छ बनाना।
- सुपरक्रिटिकल और अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल तकनीकों को अपनाना।
- कार्बन कैप्चर और स्टोरेज (CCS) तकनीकों का विकास।
- नवीकरणीय ऊर्जा (सौर, पवन, हाइड्रो) और कोयला आधारित ऊर्जा का संतुलन।
- स्मार्ट ग्रिड और ऊर्जा भंडारण (Battery Storage) को बढ़ावा देना।




भारत में सौर ऊर्जा की वर्तमान स्थिति परिचय-

- सौर ऊर्जा (Solar Energy) भारत में सबसे तेज़ी से विकसित हो रहा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है।
- भारत सौर ऊर्जा उत्पादन में दुनिया के शीर्ष 5 देशों में शामिल है और इसका लक्ष्य 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना है।

भारत में सौर ऊर्जा का वर्तमान उत्पादन (2024)

1. कुल स्थापित क्षमता: फरवरी 2024 तक भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता: 426.26 GW।



जलविद्युत परियोजनाओं हेतु योजना



Daily Current News


- इसमें से सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता: 73.31 GW (लगभग 17%)। भारत का लक्ष्य 2026-27 तक 100 GW सौर ऊर्जा स्थापित करना।

2. दुनिया में स्थिति:

- भारत सौर ऊर्जा उत्पादन में चौथे स्थान पर (चीन, अमेरिका, जापान के बाद)।
- "वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड" (OSOWOG) पहल के माध्यम से वैश्विक सौर ऊर्जा नेटवर्क विकसित करने का प्रयास।

3. राज्यानुसार सौर ऊर्जा उत्पादन:

- सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादन वाले राज्य: राजस्थान (17+ GW), गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक।






प्रमुख सौर ऊर्जा संयंत्र:

- भदला सौर पार्क (राजस्थान) – 2.25 GW (दुनिया के सबसे बड़े सौर पार्क में से एक)।
- पावागढ़ सौर पार्क (कर्नाटक) – 2.05 GW।
- कालापूर सौर पार्क (गुजरात) – 1 GW।

सरकार की प्रमुख योजनाएँ और पहल

1. राष्ट्रीय सौर मिशन (NSM) – 2010

- 2022 तक 100 GW सौर ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य (62 GW ग्राउंड-माउंटेड, 40 GW रूफटॉप सौर)।
- इसमें से 73.31 GW (2024 तक) स्थापित किया जा चुका है।





2. प्रधानमंत्री कुसुम योजना (2019)


- किसानों को सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप प्रदान करना।
- 2026 तक 30.8 GW क्षमता जोड़ने का लक्ष्य।

3. सौर पार्क योजना

- 50 सौर पार्क के निर्माण हेतु 40,000 करोड़ रुपये का निवेश।
- राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में बड़े सौर पार्क।

4. पीएलआई योजना (Production Linked Incentive - 2021)

- घरेलू सौर पैनल और सौर सेल निर्माण को बढ़ावा। 19,500 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन।





5. ग्रीन हाइड्रोजन मिशन (2023)

- 2030 तक 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन और इसके लिए सौर ऊर्जा का अधिक उपयोग।


सौर ऊर्जा क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियाँ

1. सौर पैनल और उपकरणों की निर्भरता:

- भारत 75-80% सौर पैनल चीन से आयात करता है, जिससे आत्मनिर्भरता कम है।

2. ऊर्जा भंडारण (Storage) की समस्या:

- बैटरी तकनीक महंगी होने के कारण सौर ऊर्जा का 24/7 उपयोग कठिन।





3. भूमि अधिग्रहण और पर्यावरणीय चिंताएँ:


- बड़े सौर पार्क के लिए कृषि भूमि और वन क्षेत्रों का उपयोग।

4. वित्तीय चुनौतियाँ:

- रूफटॉप सोलर को अपनाने में लोगों की रुचि और निवेश की कमी।


5. संरचनात्मक और ग्रिड एकीकरण समस्याएँ:

- ग्रिड में अस्थिर सौर ऊर्जा के कारण बिजली संतुलन बनाए रखना चुनौतीपूर्ण।



भविष्य की संभावनाएँ और समाधान

1. घरेलू सौर उपकरण निर्माण को बढ़ावा देना (Make in India, PLI योजना)।
2. ऊर्जा भंडारण समाधान विकसित करना (सस्ती बैटरियाँ, हाइड्रोजन स्टोरेज)।
3. छतों पर सौर ऊर्जा (Rooftop Solar) को बढ़ावा देना।
4. हाइब्रिड ऊर्जा प्रणाली (सौर + पवन + जलविद्युत) को अपनाना।
5. "वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड" (OSOWOG) योजना के तहत अंतरराष्ट्रीय सहयोग।





सौर ऊर्जा क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियाँ

1. सौर पैनल और उपकरणों की निर्भरता:


- भारत 75-80% सौर पैनल चीन से आयात करता है, जिससे आत्मनिर्भरता कम है।

2. ऊर्जा भंडारण (Storage) की समस्या:

- बैटरी तकनीक महंगी होने के कारण सौर ऊर्जा का 24/7 उपयोग कठिन।

3. भूमि अधिग्रहण और पर्यावरणीय चिंताएँ:

- बड़े सौर पार्क के लिए कृषि भूमि और वन क्षेत्रों का उपयोग।






4. वित्तीय चुनौतियाँ:

- रूफटॉप सोलर को अपनाने में लोगों की रुचि और निवेश की कमी।
- 5. संरचनात्मक और ग्रिड एकीकरण समस्याएँ:
- ग्रिड में अस्थिर सौर ऊर्जा के कारण बिजली संतुलन बनाए रखना चुनौतीपूर्ण।

भविष्य की संभावनाएँ और समाधान

1. घरेलू सौर उपकरण निर्माण को बढ़ावा देना (Make in India, PLI योजना)।
2. ऊर्जा भंडारण समाधान विकसित करना (सस्ती बैटरियाँ, हाइड्रोजन स्टोरेज)।




जलविद्युत परियोजनाओं हेतु योजना



Daily Current News

3. छतों पर सौर ऊर्जा (Rooftop Solar) को बढ़ावा देना।
4. हाइब्रिड ऊर्जा प्रणाली (सौर + पवन + जलविद्युत) को अपनाना।
5. "वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड" (OSOWOG) योजना के तहत अंतरराष्ट्रीय सहयोग।






इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन



इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन (IRF) की 'स्टेट ऑफ द राइनो 2024' रिपोर्ट परिचय-

- इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन (IRF) गैंडों के संरक्षण के लिए कार्य करने वाला एक प्रमुख संगठन है।
- इसकी स्थापना 1991 में इंटरनेशनल ब्लैक राइनो फाउंडेशन के रूप में की गई थी।
- 2024 की रिपोर्ट में गैंडों की वैश्विक स्थिति, उनकी आबादी और संरक्षण से जुड़ी चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया है






रिपोर्ट के मुख्य बिंदु-

- दुनिया में गैंडों की कुल संख्या: लगभग 28,000।
- 2022-23 के बीच अफ्रीका में गैंडों के अवैध शिकार में 4% वृद्धि। सफेद गैंडों की संख्या बढ़ी, लेकिन भारतीय गैंडे (वन-हॉर्नड राइनो) की संख्या स्थिर।
- दक्षिण अफ्रीका में सफेद गैंडों की आबादी में वृद्धि दर्ज की गई।
- गैंडों की प्रमुख प्रजातियाँ-


गैंडों के संरक्षण हेतु प्रमुख पहलें

1. राष्ट्रीय गैंडा संरक्षण रणनीति, 2019 (भारत) भारतीय गैंडों के संरक्षण और उनकी संख्या बढ़ाने के लिए कार्ययोजना।





2. एशियाई गैंडों पर नई दिल्ली घोषणा-पत्र, 2019
भारत, नेपाल, इंडोनेशिया और मलेशिया द्वारा संयुक्त संरक्षण प्रयास।
3. इंडियन राइनो विजन 2020 असम में काजीरंगा, मानस और अन्य संरक्षित क्षेत्रों में गैंडों की आबादी बढ़ाने का लक्ष्य।




इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन



Daily Current News

| प्रजाति | क्षेत्र | संरक्षण स्थिति |
|--------------------------------|-------------|--|
| भारतीय गैंडा (वन-हॉर्नड राइनो) | भारत, नेपाल | संकटग्रस्त (Vulnerable) |
| सुमात्राई गैंडा | इंडोनेशिया | गंभीर संकटग्रस्त (Critically Endangered) |
| जावा गैंडा | इंडोनेशिया | गंभीर संकटग्रस्त (Critically Endangered) |
| काला गैंडा | अफ्रीका | संकटग्रस्त (Endangered) |
| सफेद गैंडा | अफ्रीका | लगभग संकटमुक्त (Near Threatened) |





ICDR

आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन



आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI) की पांचवीं वर्षगांठ मुख्य बिंदु

- आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI) ने अपनी पांचवीं वर्षगांठ मनाई।
- अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलिएंस प्रोग्राम (UIRP) के तहत 2.5 मिलियन डॉलर के फंड की घोषणा।
- इस फंड का उपयोग भारत सहित 30 निम्न और मध्यम आय वाले देशों को जलवायु परिवर्तन-रोधी बनाने में किया जाएगा।





CDRI का महत्त्व

1. वैश्विक वित्त-पोषण और समन्वय:

आपदा प्रबंधन और अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने हेतु आर्थिक सहायता।

2. तकनीकी सहायता और नवाचार:

आपदा से निपटने और पुनर्वास में सहायता।
नए तकनीकी समाधानों का विकास और समर्थन।

3. क्षमता निर्माण:

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आपदा रोधी ढांचे का विकास।
स्थानीय प्रशासन और संगठनों को प्रशिक्षित करना।





आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI)

परिचय-

स्थापना: भारत ने 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में CDRI की शुरुआत की।

मुख्यालय: नई दिल्ली, भारत।

सदस्य: विभिन्न देश, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियाँ, बहुपक्षीय विकास बैंक और निजी क्षेत्र।

सदस्य:- 7संगठन और 40 देश





CDRI का उद्देश्य

- आपदा-रोधी और जलवायु-लचीली अवसंरचना का विकास।
- सतत विकास को बढ़ावा देना और आपदा जोखिम को कम करना।
- वैश्विक सहयोग के माध्यम से नवाचार और वित्तीय संसाधनों को जुटाना।

CDRI द्वारा जारी प्रमुख रिपोर्ट

ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस रिपोर्ट – वैश्विक स्तर पर आपदा-रोधी अवसंरचना की स्थिति और समाधान पर केंद्रित रिपोर्ट।

क्या है CDRI:– CDRI प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम करने और स्थायी अवसंरचना के विकास में एक महत्वपूर्ण वैश्विक पहल है।





यह अंतरराष्ट्रीय सहयोग, वित्तीय सहायता और तकनीकी नवाचार के माध्यम से सुरक्षित भविष्य की दिशा में कार्य कर रहा है।

आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI) द्वारा शुरू की गई प्रमुख पहलें

1. इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स (IRIS)

लघु द्वीपीय विकासशील देशों (SIDS) में लचीली, संघारणीय और समावेशी अवसंरचना के विकास को बढ़ावा देना।

2. DRI कनेक्ट प्लेटफॉर्म-

आपदा-रोधी ज्ञान का आदान-प्रदान करने, सीखने और वैश्विक सहयोग को मजबूत करने के लिए एक मंच।





3. अंतर्राष्ट्रीय आपदा-रोधी अवसंरचना सम्मेलन (ICDRI)

- वार्षिक सम्मेलन, जिसमें विशेषज्ञ और नीति-निर्माता आपदा प्रबंधन चुनौतियों पर चर्चा करते हैं और समाधान प्रस्तुत करते हैं।

4. इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलिएंस एक्सेलेरेटर फंड (IRAF)

- आपदा-रोधी अवसंरचना परियोजनाओं के लिए वैश्विक वित्तीय सहयोग। इसे UNDP और UNDRR के समर्थन से स्थापित किया गया है।





Thank
you

